न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 26/2014

दायर दिनांकः 22.10.2014

निर्णय दिनांक 31.10.2025

—: अनवान :—

1. श्री विष्णु पिता चेना जी, जाति बलाई, आयु 36 वर्ष, निवासी नया खेडा (डेकवाडा), तहसील आमेट, जिला राजसमन्द
2. श्री भैरू पिता चेना जी. जाति बलाई, आयु 41 वर्ष, निवासी नया खेडा (डेकवाडा), तहसील आमेट, जिला राजसमन्द
3. श्री नारायण पिता चेना जी, जाति बलाई, आयु 37 वर्ष, निवासी नया खेडा (डेकवाडा) तहसील आमेट, जिला राजसमन्दू
4. मु0 वरजू बेवा चेना जी, जाति बलाई, आयु 71 वर्ष, निवासी नया खेडा (डेकवाडा), तहसील आमेट, जिला राजसमन्द

— अपीलान्टगण

बनाम

1. नारायण पिता प्रताप जी जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी डेकवाडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द
2. केरिंग पिता सुखा जी जाति गुर्जर के बजाय सुखा पिता केरिंग गुर्जर, निवासी डेकवाडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द
3. हीरा पिता लेहरू जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी डेकवाडा तहसील आमेट, जिला राजसमन्द
4. श्रीमती चांदी पत्नि छग्गु जी, जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी डेकवाडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द
5. श्रीमान् राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय आमेट, जिला राजसमन्द राजस्थान

— रेस्पोण्डेन्टगण

अपील विरूद्ध बनाराजगी आदेश तहसीलदार साहब आमेट, मुकदमा नम्बर 01/2014 प्रार्थना पत्र राजस्व धारा 183 (बी) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट निर्णय दिनांक 19.03.2014

उपस्थितः—

1— श्री आर एल रावत, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— श्री गिरीशचन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 अनुपस्थित(एकपक्षीय कार्यवाही)

3— रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित(एकपक्षीय कार्यवाही)

4— राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, रेस्पोडेन्ट संख्या 5

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार साहब आमेट, मुकदमा नम्बर 01/2014 प्रार्थना पत्र राजस्व धारा 183 (बी) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट निर्णय दिनांक 19.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत कर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र पर बिना पत्रावली का कानून सम्मत अवलोकन किये कानून विधि व सिद्वान्तो के विपरित होकर आदेश आंशिक रूप स्वीकार किया जो काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए अपने मनमकसुद तरीके से कानून का विवेचन करने में विधि के विरूद्ध कृत्य किया, जो काबिले निरस्त है, एवं अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य है। अपीलान्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183 (बी) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के विरूद्ध यह प्रार्थना चाही कि मौजा ग्राम डेकवाडा आराजी नम्बर 279 रकबा 00–0200 हैक्टेयर 504 रकबा 00–06 हैक्टेयर आराजी नम्बर 505 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 506 रकबा 0.400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 507 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 508 रकबा 0.600 हैक्टेयर, आराजी नम्वर 509 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 510 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 511 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 512 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1427 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, कुल किता – 11, कुल रकबा 01.7600 हैक्टेयर मे अपीलान्ट्स व अन्य भाईयों व मेरी माँ की खातेदारी है। अपीलान्ट की उक्त वर्णित आराजी में अपीलान्ट व भाई व माँ के खाते मे होकर उपयोग उपभोग मे है, मैं/हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, हम अनुसूचित जाति के होने से एवं हमारी खातेदारी जमीन विपक्षीगण ने मेरे खाते व कब्जे शुदा भूमि में अतिक्रमण कर लिया है. विपक्षीगण/रेस्पोडेण्ट्स के जमीन मे जाने से मना करने पर हमे जान से मारने की धमकियों दे रहे है, हमारी जमीन कृषि भूमि में विपक्षीगण ने जबरन अतिक्रमण कर मकान बना रहे है, जिनका उन्हे कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नही है। हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीने कृषि भूमि में विपक्षीगण स्वर्ण जाति के होने से जबरन अवैद्य कब्जा कर मकान बना रहे है, एवं हमे अवैद्य कब्जा करके मौके से बेदखल किया जा रहा है। उक्त प्रकार अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के यहाँ धारा 183 (बी) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया एवं अन्त में विपक्षीगणो के कब्जे से कृषि भूमि मुक्त करा कब्जे से बेदखल कर पुनः कब्जा अपीलान्ट को दिलाने एवं विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध शास्ती आरोपित करना अपीलान्ट ने प्रार्थना की, जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 5 ने प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण/ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 को सूचना पत्र जारी करा तामिल करा दिया। उसके बाद रेस्पोडेण्ट संख्या 5 हल्का पटवारी साहब से दिनांक 10.09.2013 एवं दिनांक 08.01.2014 को दो मौके पर्चा रिपोर्ट बनवायी, जो पत्रावली मे पेश किये गये, आराजी नम्बर 508 एवं आराजी नम्बर 509, 510 पर विपक्षीगण ने कब्जा होना प्रमाणित माना, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मनमकसुद तरीके से कानून की विवेचना करके आराजीयात की किस्म को आधार बनाकर आराजी नम्बर 509 व 510 से तो रेस्पोडेण्ट को बेदखल करने का आदेश दिया, लेकिन आराजी नम्बर 508 रकबा 0.600 हैक्टेयर मे आराजी की किस्म मकान होने से जो प्रार्थीगण की खातेदार होने के बावजूद भी बेदखल नही किया, जो कानून व विधि के विरूद्ध आदेश दिया गया कि उक्त आराजी पर कानून के विपरित अवैद्य कब्जा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से कम होना प्रमाणित है। हमे गलत रूप से आबादी बतायी है। जबकि कानूनन् आबादी के लिए आवासीय रूपान्तरण किया हुआ है, न ही खाते में आबादी लिखा है, गलत रूप से आबादी का विवेचन कर रेस्पोडेण्ट को बेदखल नही

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

करने का आदेश विधि के सिद्वान्तो के विपरित होकर काबिल निरस्त है। रेस्पोडेण्ट 5 व अन्य रेस्पोडेण्ट से मिलीभगत कर विधिविरूद्व आदेश पारित किया है, जो काबिल निरस्त है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील, अपीलान्ट को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट के आलौच्य आदेश दिनांक 19.03.2014 को निरस्त किया जाये। अपील के पैरा संख्या 4 में वर्णित खातेदारी कृषि मे से आराजी नम्बर 508, 509, 510 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 का अवैद्य कब्जा अतिक्रमण से कृषि भूमि में कब्जा मुक्त करा कृषि भूमियों का कब्जा जरिये तहसीलदार आमेट के अपीलान्ट को दिलाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीशचन्द्र पुरोहित ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिती दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा दिनांक 08.09.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र पर बिना पत्रावली का कानून सम्मत अवलोकन किये कानून विधि व सिद्वान्तो के विपरित होकर आदेश आंशिक रूप स्वीकार किया जो काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए अपने मनमकसुद तरीके से कानून का विवेचन करने में विधि के विरूद्ध कृत्य किया, जो काबिले निरस्त है, एवं अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य है। अपीलान्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183 (बी) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के विरूद्ध यह प्रार्थना चाही कि मौजा ग्राम डेकवाडा आराजी नम्बर 279 रकबा 00–0200 हैक्टेयर 504 रकबा 00–06 हैक्टेयर आराजी नम्बर 505 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 506 रकबा 0.400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 507 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 508 रकबा 0.600 हैक्टेयर, आराजी नम्वर 509 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 510 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 511 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 512 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1427 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, कुल किता –11, कुल रकबा 01–7600 हैक्टेयर मे अपीलान्ट्स व अन्य भाईयों व मेरी माँ की खातेदारी है। अपीलान्ट की उक्त वर्णित आराजी में अपीलान्ट व भाई व माँ के खाते मे होकर उपयोग उपभोग मे है, अपीलार्थी अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, अपीलार्थी अनुसूचित जाति के होने से अपीलार्थी की खातेदारी जमीन विपक्षीगण ने अपीलार्थी के खाते व कब्जेशुदा भूमि में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के यहाँ धारा 183 (बी) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया एवं अन्त में विपक्षीगणो के कब्जे से कृषि भूमि मुक्त करा कब्जे से बेदखल कर पुनः कब्जा अपीलान्ट को दिलाने एवं विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध शास्ती आरोपित करना अपीलान्ट ने प्रार्थना की, जिस पर तहसीलदार आमेट ने प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण/ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 को सूचना पत्र जारी करा तामिल करा दिया। उसके बाद तहसीलदार आमेट द्वारा हल्का पटवारी साहब से दिनांक 10.09. 2013 एवं दिनांक 08.01.2014 को दो मौके पर्चा रिपोर्ट बनवायी, जो पत्रावली मे पेश किये गये, आराजी नम्बर 508 एवं आराजी नम्बर 509 510 पर विपक्षीगण ने कब्जा होना प्रमाणित माना, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मनमकसुद तरीके से कानून की विवेचना करके आराजीयात की किस्म को आधार बनाकर आराजी नम्बर 509 व 510 से तो रेस्पोडेण्ट को बेदखल करने का आदेश दिया, लेकिन आराजी नम्बर 508 रकबा 0.600 हैक्टेयर मे आराजी की किस्म मकान होने से जो प्रार्थीगण की खातेदार होने के बावजूद भी बेदखल नही किया, जो कानून व विधि के विरूद्ध आदेश दिया गया कि उक्त आराजी पर कानून के विपरित अवैद्य कब्जा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से कम होना प्रमाणित है। हमे गलत रूप से आबादी बतायी है। जबकि कानूनन् आबादी के लिए आवासीय रूपान्तरण किया हुआ है, न ही खाते में आबादी लिखा है, गलत रूप से आबादी का विवेचन कर रेस्पोडेण्ट को बेदखल नही करने का आदेश विधि के सिद्वान्तो के विपरित होकर काबिल निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 को पारित किया हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट के आलौच्य आदेश दिनांक 19.03.2014 को निरस्त किया जाये। अपील के पैरा संख्या 4 में वर्णित खातेदारी कृषि मे से आराजी नम्बर 508, 509, 510 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 का अवैद्य कब्जा अतिक्रमण से कृषि भूमि में कब्जा मुक्त करा कृषि भूमियों का कब्जा जरिये तहसीलदार आमेट में अपीलान्ट को दिलाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत व नियमानुसार है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2014 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(बी) के तहत दर्ज प्रकरण संख्या 01/2014 का निर्णय किया गया। इस निर्णय के अनुसार आराजी संख्या 509 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में से 0.0250 हैक्टेयर व आराजी संख्या 510 रकबा 0.1500 हैक्टेयर में से 0.0350 हैक्टेयर भूमि पर श्री नारायण पिता प्रताप गुर्जर द्वारा बाड़ा बनाकर कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि प्रार्थीगणो की खातेदारी भूमि है। इस पर अप्रार्थी द्वारा बाड़ा बनाकर कब्जा कर रखा है जिसे हटाने का आदेश दिया गया। प्रार्थीगणो की भूमि आराजी संख्या 509 व 510 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कृषि भूमि मानते हुए उस पर से अप्रार्थीगण का बाडा हटाने का आदेश भी इस निर्णय में दिया गया। साथ ही आराजी संख्या 508 रकबा 0.0600 हैक्टेयर जो कि किस्म मकान है। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा मकान बनाकर निवास कर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रहे है। इसीलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी संख्या 508 पर अतिक्रमी का कब्जा हटाने का आदेश 183(बी) के तहत नियमानुसार नहीं पाया गया।

इस संबंध में हमारे द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(बी) के अनुसार किसी भी ट्रेसपासर का कब्जा यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जमीन पर किया जाता है तो संक्षिप्त प्रक्रिया (SUMMARY PROSEEDING) द्वारा उसके कब्जे को खाली किया जा सकता है। परन्तु इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा यह भूमि धारित की जानी चाहिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियत 1955 की धारा 5(26) में भूमि धारक (LAND HOLDER) को परिभाषित किया गया है इसमें भूमि धारक (LAND HOLDER) को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि जिस भूमि का कृषक द्वारा किराया चुकाया जाता है, वह उस भूमि का (LAND HOLDER) की श्रेणी में आता है। हमने जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 508 जिसका रकबा 0.0600 हैक्टेयर है। उसकी किस्म मकान दर्ज है तथा उस पर कोई भी लगान निर्धारित नहीं है। अर्थात् आराजी संख्या 508 का लगान कृषक द्वारा नहीं चुकाया जा रहा है। अतः इस प्रकार आराजी संख्या 508 भूमि धारक (LAND HOLDER) की श्रेणी में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार कानूनी रूप से तहसीलदार आमेट द्वारा जो निर्णय किया गया है। वह विधिक प्रावधानो के अनुकुल होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अपीलान्ट की भूमि पर जो मकान अप्रार्थीगण द्वारा बना लिया गया है। उस पर से कब्जा हटाने हेतु वह सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार आमेट को लौटायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)